

न्यायालय:श्रीधर कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला -बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्र.क.क्रमांक-1145/04
संस्थित दिनांक-20.01.03
फाईलिंग क्र.234503000172003

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बिरसा,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

- 1.छबीलाल पिता घुडनलाल उम्र-54 वर्ष,
 निवासी-मोहगांव थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 2.हरीप्रसाद पिता सुकलाल, उम्र-50 वर्ष,
 निवासी-मोहगांव थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 3.मैथू उर्फ बुद्धसिंह पिता साहू सिंह, उम्र-44 वर्ष,
 निवासी-ग्राम मानपुर थाना रूपझर जिला बालाघाट (म.प्र.)(म.प्र.)

— — — — — आरोपीगण

// निर्णय //

(आज दिनांक-23/09/2016 को घोषित)

- 1— आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-39 एवं 49 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 15.12.2002 को ग्राम मुंडई-जंगला के मध्य खुले मैदान में बगैर वैध अनुज्ञप्ति के वन्य प्राणी शासकीय सम्पत्ति तेंदुए, चीतल, कोटरी(चीतल के बच्चे) का चमड़ा अपने आधिपत्य में रखा।
- 2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस थाना बिरसा में पदस्थ उपनिरीक्षक अभिनव शुक्ला को दिनांक 15.12.2002 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि तीन व्यक्ति जिनके नाम हरीप्रसाद, मैथू व छबीलाल हैं। ग्राम मुंडई के जंगल में अपने कब्जे में चमड़ा लेकर जा रहे हैं। सूचना को रोजनामचासन्हा क्रमांक 516 पर दर्ज कर हमराह स्टाफ के साथ बताये हुये स्थान पर वह गया था। उसे मुखबिर के द्वारा दिये गये हुलिये के व्यक्ति आते हुये दिखाई दिये जिन्हें रोककर उनका नाम पूछे जाने पर उन्होंने अपना नाम हरीप्रसाद, छबीलाल एवं मैथू बताया था। आरोपीगण के कब्जे में रखे थैले की तलाशी लेने पर आरोपी मैथू के कब्जे के थैले से तेंदुए की खाल मिली। आरोपी हरीप्रसाद के कब्जे के थैले से एक चीतल का चमड़ा तथा आरोपी छबीलाल के कब्जे के थैले से एक चीतल के बच्चे का चमड़ा(कोटरी) मिला। उपरोक्त सामग्री का पंचनामा बनाकर वन्य प्राणी की खालों को जप्त किया गया। आरोपीगण को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3- आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-39 एवं 49 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या दिनांक 15.12.2002 को ग्राम मुंडई-जंगला के मध्य खुले मैदान में बगैर वैध अनुज्ञप्ति के वन्य प्राणी शासकीय सम्पत्ति तेंदुए, चीतल, कोटरी(चीतल के बच्चे) का चमड़ा अपने आधिपत्य में रखे पाये गये। ?

विचारणीय बिन्दु का निष्कर्ष :-

5- अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी अभिनव शुक्ला अ.सा.04 ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 15.12.2002 को थाना बिरसा में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि तीन व्यक्ति जिनके नाम हरीप्रसाद, मैथू उर्फ बुद्धसिंह व छबीलाल मंडई मण्डला के जंगल में अपने आधिपत्य में रखे बोरे में चमड़ा रखकर तस्करी करने के लिये आ रहे हैं। सूचना पर उसने रोजनामचासान्हा क्रमांक 516 पर दर्ज कर हमराह स्टाफ प्रधान आरक्षक क्रमांक 277, आरक्षक क्रमांक 604, आरक्षक क्रमांक 827 तथा टाईगर सेल के कर्मचारी आरक्षक क्रमांक 312, 122 एवं रेहनूसिंह व बरसुसिंह को साथ लेकर मंडई जंगला के जंगल गया। छुपकर घेराबंदी की और कुछ समय के बाद तीन व्यक्ति आते हुये दिखाई दिये थे जो हुलिये के अनुसार थे जिन्हें रोककर नाम पता पूछने पर उसमें से एक ने अपना नाम मैथू उर्फ बुद्धसिंह, दूसरे ने हरीप्रसाद व तीसरे ने छबीलाल बताया था। आरोपीगण के कब्जे में रखे बोरो को खुलवाकर देखने पर आरोपी मैथू के कब्जे वाले बोरे से तेंदुए के चमड़े की तरह का एक चमड़ा प्राप्त हुआ था। आरोपी हरीप्रसाद के कब्जे के बोरे से एक चीतल के बच्चे (कोटरी) का चमड़ा तथा आरोपी छबीलाल के कब्जे वाले बोरे से एक चीतल व एक कोटरी के समान चमड़ा प्राप्त हुआ था।

6- आरोपीगण से प्राप्त चमड़ों को साक्षी रेहनूसिंह एवं बरसुसिंह के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 लगायत प्र.पी.03 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर हैं। मौके पर ही आरोपीगण को उक्त साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 लगायत प्र.पी.06 बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके तथा सी से सी भाग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर हैं। थाना वापस आकर रोजनामचासान्हा में दर्ज किया था। आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.11 दर्ज की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 15.12.2002 को थाने पर साक्षी बरसुसिंह व रेहनूसिंह के समक्ष आरोपीगण से पूछताछ कर मेमोरेन्डम कथन

प्र.पी.07, 08 एवं 09 लेख किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर हैं। दिनांक 17.12.2002 को उसके द्वारा घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.12 बनाया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा साक्षी रेहनुसिंह, बरसुसिंह, आरक्षक छायाकिशोर क्रमांक 604, आरक्षक धनपाल के कथन उनके बतायेनुसार लेख किये थे। जप्तशुदा सामग्री को झाप बनवाकर परीक्षण हेतु वन्य प्राणी संस्थान देहरादून पुलिस अधीक्षक बालाघाट के माध्यम से भिजवाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि साक्षी चरसुसिंह एवं रवनूसिंह उसके विभाग के कर्मचारी थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि जप्त किये गये चमड़े की लंबाई-चौड़ाई का उल्लेख जप्ती पत्रक में नहीं किया गया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जप्तशुदा सामग्री का परीक्षण फॉरेस्ट ऑफीसर से नहीं कराया गया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि प्रकरण में विशेषज्ञ की परीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह कहा है कि रवानगी तथा वापसी सान्हा की असल प्रति प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की गई है।

7- अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी धनपाल बिसेन अ.सा.03 ने अपने कथन में कहा है कि दिनांक 15.12.2002 को टाईगर सेल पुलिस लाइन बालाघाट में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। सूचना प्राप्त होने पर वह रमेश जैतवार के साथ बैहर थाना अंतर्गत आया था और ग्राम मंडई के जंगल में तीन व्यक्ति वन्य प्राणी के चमड़ा लेकर जा रहे हैं, इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी। चूंकि मंडई जंगल बिरसा थाना में आता था इसलिये उसने बिरसा थाना में आमद दी थी और बिरसा थाना प्रभारी को सूचना दिया था। सूचना के पश्चात मुखबिर के बताये हुये स्थान पर गये थे जहाँ तीन व्यक्ति आते दिखाई दिये उन्हें घेराबंदी कर तेंदुए की खाल, चीतल की खाल एवं कोटरी के बच्चे की खाल जप्त किये थे। आरोपीगण ने अपना नाम हरीप्रसाद, छबीलाल एवं मैथू बताया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि घटनास्थल पर वह गवाहों को साथ लेकर गया था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण के विरुद्ध झूठी कार्यवाही की गई है।

8- अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी चरसुसिंह अ.सा.02 ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। घटना वर्ष 2004 की है। उसे घटना की जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके बयान दर्ज नहीं किया। उसके सामने आरोपी हरीप्रसाद से कोई जप्ती नहीं की गई थी। जप्ती पत्रक प्र.पी.01 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार आरोपी मैथू से भी कोई जप्ती नहीं हुई थी। जप्ती पत्रक प्र.पी.02 पर अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी प्रकार आरोपी छबीलाल से उसके सामने कोई जप्ती नहीं हुई थी। जप्ती पत्रक प्र.पी.03 पर अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने आरोपीगण को उसके सामने गिरफ्तार नहीं किया था किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04, 05 एवं 06 पर उसने हस्ताक्षर किया था। आरोपीगण ने उसके सामने कोई मेमोरेन्डम कथन लेख नहीं

कराया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी मैथू ने इस आशय का कथन दिया था कि उसने तेंदुए का चमड़ा आरोपी छबीलाल एवं हरीप्रसाद के साथ मिलकर खेत की बाड़ में छुपाकर रखा है। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि उसके सामने हड़डी, छुरी व चमड़ा बरामद किया गया था। साक्षी ने आरोपी हरीप्रसाद का मेमोरेन्डम कथन जिसमें कि खेत की बाड़ में चमड़ा रखने की बात आरोपी द्वारा बताई गई थी, नहीं देना कहा है। साक्षी ने आरोपी छबीलाल द्वारा दिये गये मेमोरेन्डम कथन उसके सामने दिये जाने से इंकार किया है। पक्षद्रोही घोषित किये जाने के पश्चात साक्षी ने अभियोजन पक्ष के सुझाव से स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपी हरीप्रसाद के कब्जे से हिरण के बच्चे का चमड़ा, आरोपी मैथू के कब्जे से तेंदुए का चमड़ा तथा आरोपी छबीलाल से एक चीतल का चमड़ा व एक चीतल के बच्चे का चमड़ा प्र.पी.03 के अनुसार जप्त किया गया। साक्षी ने प्र.पी.10 पुलिस को नहीं लेख कराना व्यक्त किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह घटना के समय होमगार्ड के पद पर थाना बिरसा में पदस्थ था। साक्षी ने कहा है कि उसने पुलिस वालों के कहने पर पुलिस थाने में सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किये थे।

9— अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी रवनुसिंह अ.सा.01 ने अपने कथन में कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं पहचानता है। घटना 15 वर्ष पूर्व की है। घटना के समय वह वायरलेस ऑपरेटर के पद पर थाना बिरसा में पदस्थ था। घटना में क्या हुआ था उसकी उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 15.12.2002 को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर वह उपनिरीक्षक के साथ जंगल गया था। आरोपी छबीलाल, मैथू तथा हरीप्रसाद को रोककर उनकी तलाशी लेने पर आरोपी मैथू के कब्जे के थैले में से तेंदुए की खाल। आरोपी हरीप्रसाद के कब्जे वाले थैले में से चीतल के बच्चे की खाल तथा आरोपी छबीलाल के पास से चीतल तथा चीतल के बच्चे का चमड़ा प्राप्त हुआ था। साक्षी ने जप्ती पत्रक प्र. पी.01, 02 एवं 03 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है एवं कहा है कि यह हस्ताक्षर उसने उपनिरीक्षक के कहने पर किये थे। साक्षी ने गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04, 05 एवं 06 पर भी अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया और कहा है कि जप्ती तथा गिरफ्तारी के विषय में दस्तावेजों पर उसने पुलिस थाना बिरसा में हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने कहा है कि मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.07, 08 एवं 09 पर उसने हस्ताक्षर नहीं किया था। साक्षी ने स्वयं का पुलिस कथन प्र.पी.13 पुलिस को लेख नहीं कराना व्यक्त किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि कार्यवाही के समय वह मौके पर नहीं गया था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने कोरे कागज पर अपने अधिकारी के कहने पर हस्ताक्षर किये थे।

10— अभियोजन कहानी के अनुसार तेंदुए, चीतल तथा चीतल के बच्चे की खाल आरोपीगण द्वारा अपने कब्जे में अवैध रूप से रखी गई थी। अभियोजन कहानी पर विचार

किया जावे तो प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.11 में इस बात का उल्लेख है कि मुखबिर की सूचना प्राप्त होने के पश्चात रोजनामचासान्हा में इंड्राज कर कार्यवाही हेतु पुलिस बल थाने से गया था। प्रकरण में असल रोजनामचासान्हा प्रस्तुत कर प्रदर्श नहीं कराया गया है। रोजनामचासान्हा प्रदर्श नहीं कराये जाने से विवेचक द्वारा मुखबिर की सूचना और कार्यवाही के लिये जाने की पुष्टि नहीं होती।

11— अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी मैथू से वन्य प्राणी तेंदुए की खाल जप्त हुई थी। आरोपी हरीप्रसाद के आधिपत्य से एक चीतल के बच्चे(कोटरी) की खाल जप्त हुई थी तथा आरोपी छबीलाल के आधिपत्य से वन्य प्राणी चीतल का एक चमड़ा तथा एक चीतल के बच्चे (कोटरी) का चमड़ा प्राप्त हुआ था। अभियोजन साक्षी अभिनव शुक्ला अ.सा.04 के न्यायालयीन कथनों पर विचार किया जावे तो साक्षी का कहना है कि उसने मौके पर घेराबंदी कर आरोपीगण को पकड़ा था तब उपरोक्तानुसार तेंदुए, चीतल तथा चीतल के बच्चे की खाल जप्त हुई थी। उसने इस विषय में प्र.पी.01 लगायत प्र.पी.03 जप्ती पत्रक तैयार किये थे। साक्षी का यह भी कहना है कि जप्ती की कार्यवाही के पश्चात आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 लगायत प्र.पी.06 तैयार किये गये थे। विवेचक साक्षी अभिनव शुक्ला अ.सा.04 द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन मौके पर उपस्थित साक्षी चरसुसिंह अ.सा.02 द्वारा नहीं किया गया है। उपरोक्त कार्यवाही के अन्य साक्षी रवनसिंह अ.सा.01 ने भी विवेचक द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है और कहा है कि उसने पुलिस अधिकारी के कहने पर कोरे कागज पर हस्ताक्षर किये थे।

12— विवेचक साक्षी अभिनव शुक्ला अ.सा.04 ने कहा है कि उसने आरोपीगण के मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.07, 08 एवं 09 लेख किये थे। मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.07 में यह लेख है कि तेंदुए का चमड़ा निकालने के लिये छुरी तथा तेंदुए की हड्डी एवं अन्य सामग्री आरोपी मैथू ने खेत की बाड़ में गाड़े थे। इसी आशय का मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.08 आरोपी हरीप्रसाद तथा आरोपी छबीलाल का मेमोरेन्डम कथन प्र.पी.09 अभियोजन साक्षी विवेचक अभिनव शुक्ला अ.सा.04 ने लेख किया गया था, जिसमें आरोपी हरीप्रसाद ने चीतल का चमड़ा तथा आरोपी छबीलाल ने एक शेर का चमड़ा अपने घर रखे जाने की बात बताई थी। उपरोक्त कार्यवाही का भी समर्थन साक्षी चरसुसिंह अ.सा.02 तथा रवनसिंह अ.सा.01 ने नहीं किया है। प्रकरण में जप्तशुदा वन्य प्राणी तेंदुए की खाल, चीतल की खाल तथा चीतल के बच्चे(कोटरी) के विषय में विशेषज्ञ की परीक्षण रिपोर्ट अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त जप्तशुदा सामग्री प्र.पी.01 लगायत प्र.पी.03 को न्यायालय में बुलाया जाकर आर्टिकल भी अंकित नहीं कराया गया है।

13— प्रकरण में घटना के समय अभियोजन साक्षी चरसुसिंह अ.सा.02 होमगार्ड विभाग का कर्मचारी था तथा अभियोजन साक्षी रवनसिंह अ.सा.01 घटना के समय थाना

बिरसा में ऑपरेटर के पद पर पदस्थ था और अभियोजन कहानी के अनुसार उपरोक्त साक्षी विवेचक अभिनव शुक्ला अ.सा.04 के साथ मौके पर कार्यवाही के समय उपस्थित थे। उनका घटना के विषय में कहना है कि सभी कार्यवाही थाने में की गई थी और उन्होंने सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर पुलिस थाने में किये थे। उपरोक्त स्थिति में यह संदेहास्पद है कि आरोपीगण की तलाशी लेने पर उनके आधिपत्य के कब्जे के थैले से तेंदुए की खाल, चीतल की खाल एवं एक चीतल के बच्चे की खाल जप्त की गई थी। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को संदेह का लाभ दिया जाना उचित होगा। अतएव आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-39 एवं 49 के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

14— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 06 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

15— प्रकरण में आरोपीगण दिनांक-16.12.2002 से दिनांक-27.12.2002 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहे हैं। उक्त के संबंध में धारा-428 दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जाये।

16— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक तेंदुए का चमड़ा, एक चीतल का चमड़ा एक कोटरी का चमड़ा एवं एक कोटरी का चमड़ा जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 लगायत 3 अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई, संबंधित थाना इसे अपील अवधि पश्चात् विधि अनुसार निराकरण के लिए वन विभाग को सौंपे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(श्रीष कैलाश शुक्ल)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट